न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बइज़लाश श्री नन्दकिशोर राजोरा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 23/2021

अपीलाण्ट –

1. श्री जैन पंच महाजनान सेवाडी, तहसील बाली जरिये सचिव, बाबुलाल पुत्र जसराज सुराणा, जाति जैन निवासी सेवाड़ी तहसील बाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स –

1. भागचंद पुत्र स्व0 श्री धनराज जी
2. शांतिलाल पुत्र स्व0 श्री धनराज जी
3. मृतक घीसुलाल पुत्र स्व0 श्री धनराज जी के का0मु0
   3/1 स्व0 पारसमल पुत्र स्व. घीसूलाल के का0मु0
   3/1/1 शकुन्तला पत्नी स्व0 श्री पारसमल
   3/1/2 भावेश पुत्र स्व0 श्री पारसमल
   3/1/3 गौरव पुत्र स्व0 श्री पारसमल
   3/1/4 रोनक पुत्र स्व0 श्री पारसमल
   3/2 तेजराज पुत्र स्व0 श्री घीसूलाल जी
   3/3 सुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री घीसूलाल जी
   3/4 मीना पुत्री स्व0 श्री घीसूलाल जी
   3/5 नितीन पुत्र स्व0 श्री घीसूलाल जी
4. स्व0 जीवराज पुत्र स्व0 धनराज के का0मु0
   4/1 सोना बेन पत्नी स्व0 श्री जीवराज
   4/2 राजेश पुत्र स्व0 श्री जीवराज
   4/3 ललित पुत्र स्व0 श्री जीवराज
   4/4 मनीष पुत्र स्व0 श्री जीवराज
   4/5 वैशाली पुत्री स्व0 श्री जीवराज
5. भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री धनराज जी
6. श्रीमती रतनबाई पुत्री स्व0 श्री धनराज जी पत्नी श्री रतनवंद जी मडलेचा तमाम जातिगण जैन निवासीगण सेवाड़ी तहसील बाली जिला पाली
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति –

अपीलाण्ट्स की ओर से श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री नारायणलाल कुमावत, अधिवक्ता

– निर्णय –

दिनांक : 23.08.2022

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2019 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस समायत की गई।

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता सुमेरसिंह राजपुरोहित ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी ग्राम सेवाड़ी के खसरा नम्बर 32 से 37 एवं खसरा नम्बर 39 से 42 कुल रकबा 14.83 हैक्टेयर कृषि भूमि को वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वजों से प्राप्त अविभाजित एवं सुयक्त आधिपत्य व खातेदारी की संपति होना बताते हुए जाहिर किया कि उक्त विवादित आराजी के पूर्व खातेदार प्रेमचंद के देहान्त के पश्चात वादी एवं प्रतिवादी का बहिस्सा बराबर 1/7 विधिक प्रावधानों के अनुसार निहित होना था, किन्तु प्रेमचंद के देहान्त के पश्चात नाम प्रविष्ठ नहीं कर प्रेमचंद का नाम ही राजस्व रेकर्ड में अंकित रहा, जिस कारण दिनांक 08.06.1976 को एक काल्पनिक अनरजिस्टर्ड, अवैधानिक, अस्तित्वविहित तथाकथित अपीलाण्ट संस्था के हक में कब्जा हस्तान्तरण के अभाव में दानपत्र निष्पादित करवा दिया, जबकि धनराज जी अकेले को सम्पूर्ण सम्पति गिफ्ट करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उक्त आराजी में धनराज जी का 1/7 हिस्सा ही निहित था। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण द्वारा उक्त दानपत्र को कानूनन अवैध, शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने तथा प्रत्येक वादी व प्रतिवादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने, विभाजन किये जाने बाबत अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद स्वीकार कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के नाम जो सम्मन जारी किया, वह अपीलाण्ट से विधिवत तामील ही नहीं हुआ, प्रकरण में फर्जी तामील के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट को किसी भी रूप में जवाबदावा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

साक्ष्य, सबूत आदि प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा आपस में मिलावट करते हुए अपीलाण्ट की फर्जी तामील करवाते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करवाई है, जो विधि विरूद्ध हैं। वादीगण द्वारा जानबूझ कर संस्था के पदाधिकारीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया, मात्र संस्था को पक्षकार बनाया गया, जिससे विधिवत तामील से बचा जा सके। अपीलाण्ट संस्था पंजीबद्ध संस्था है, जो वाद दायर होने से पूर्व ही पंजीबद्ध हो चुकी थी, वादीगण को इन तथ्यों का पूर्ण ज्ञान था। इसके बावजूद भी उनके द्वारा जानबूझकर तथ्यो को छुपाते हुए कि संस्था अनरजिस्टर्ड है एवं इसी आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करवाई हैं। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा अपने वाद में पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त कराने का भी अनुतोष चाहा है, जिसका अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को हैं। इस कारण विधिक रूप से यह वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पोषणीय ही नहीं था। निर्विवादित रूप से प्रकरण सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार का होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए वाद का श्रवण कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो अपास्त योग्य हैं। अपीलाण्ट संस्था सार्वजनिक हितहितार्थ संस्था है, जिसके द्वारा पूर्व में कई वर्षो तक गौशाला का संचालन किया गया था, जिसमें गायों के रहने आदि के लिये शेड बनाये हुए है, इसमें जो चारा, फसल आदि भी अपीलाण्ट संस्था द्वारा ही पैदा किया जाता हैं। उपरोक्त भूमि संस्था को गिफ्ट करने के बाद से संस्था द्वारा लगातार बतौर खातेदार उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं तथा संस्था का ही आधिपत्य हैं। अपीलाण्ट संस्था द्वारा उक्त भूमि में कुंआ भी खुदवाया है तथा अन्य विकास कार्यो हेतु लाखों रूपये खर्च किये हैं। इसलिये कब्जा प्राप्ति का वाद लाये बिना विधिक रूप से वाद पोषणीय नही हैं। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आधे–अधूरे साक्ष्य के आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में डी. एन.जे. 2021(1) पेज 174, आर.आर.टी. 2021(1) पेज 27, डी.एन.जे. 2018(2) पेज 421, आर0आर0डी0 1989 पेज 429, आर0आर0डी0 1984 पेज 873, ए.आई.आर. 1995 (राज) पेज 94, ए.आई.आर. 1979 (राज) पेज 173, डी.एन.जे. 2022 (2) पेज 731 तथा ए0आई0आर0 1971 एस.सी. पेज 776 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत ने बहस के प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोड़ेन्ट्स की पुश्तैनी सम्पति है, जिसमें रेस्पोडेन्ट्स का जन्म से हक अधिकार निहित हैं। यह अविभाजित परिवार की सम्पति है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि को वर्ष 1976 में संस्था को दानपत्र के जरिये हस्तान्तरण किये जाने का जिक्र किया गया है, जबकि संस्था अस्तित्व में भी वर्ष 2018 को आई हैं। इससे पूर्व संस्था का अस्तित्व ही नहीं था। इस प्रकार एक अस्तित्वहीन संस्था के पक्ष में दान पत्र निष्पादित किया गया है, जो विधिक दृष्टीकोण से शून्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

समक्ष वादीगण द्वारा उक्त भूमि को अपनी पुश्तैनी सम्पति होने के कारण अपने हक अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम भी बतौर सह खातेदार दर्ज किया जाना था, जो नहीं किया गया, मात्र प्रेमचन्द का नाम दर्ज रहा। धनराज द्वारा उक्त भूमि को अस्तित्वहीन संस्था के पक्ष में गिफ्ट डीड निष्पादित कर उक्त समस्त आराजी दान कर दी, जबकि धनराज का उक्त भूमि में 1/7 हिस्सा ही निहित था। इस हिस्से के अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में उन्हे कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं थे। इसके बावजूद भी धनराज द्वारा अपीलाण्ट संस्था के पक्ष में दानपत्र निष्पादित किया, जो आरम्भ से ही शून्य हैं। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती बाबत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें समस्त पक्षकारान् की विधिवत तामील हुई हैं। अपीलाण्ट बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विधिवत सुनवाई कर एवं समुचित दस्तावेजात् का परीक्षण कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील खारिज़ कराने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी अपनी पुश्तैनी सम्पति होने के कारण उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में से अपीलाण्ट संस्था का नाम विलोपित कर अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2, जो कि वादीगण थे, उनके द्वारा जो पक्षकारान का संयोजन किया गया, उसमें अपीलाण्ट संस्था को प्रतिवादी संख्या 5 संयोजित किया गया, किन्तु संस्था की ओर से किसी भी पदाधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया, मात्र संस्था का नाम ही पक्षकार अंकित किया गया। नियत तारीख पेशी पर प्रतिवादीगण उपंस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में वादीगण ही शहादत लेने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री पारित की।

यहां प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने का जो आधार लिया गया है, वह मुख्य रूप से यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट संस्था को जो सम्मन जारी किये गये, वह सम्यक् तामील ही नहीं हुए। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई हैं। इस परिदृश्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमतः तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दिनांक 02.12.2019 को दायर करवाया गया है, उस समय अपीलाण्ट संस्था रजिस्टर्ड थी, जिसके पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। इसके बावजूद भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादीगण द्वारा मात्र संस्था के नाम से पक्षकार संयोजन किया गया। अपीलाण्ट संस्था के नाम जो सम्मन जारी किया गया, वह रमण कुमार सुराणा को प्रदान किया गया है, उक्त रमण कुमार सुराणा का अपीलाण्ट संस्था से क्या संबंध है अथवा किस हैसियत से यह सम्मन उन्हे प्रदान किया गया है, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सम्मन किसके द्वारा तामील करवाया गया, तामील कुनिन्दा के भी हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार उक्त तामीली कार्यवाही को किसी भी रूप में सम्यक् तामील नहीं माना जा सकता हैं इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे सम्यक् तामील मानते हुए उक्त तामील के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, जो विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल हैं।

हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा यह तथ्य जाहिर किये है कि पैतृक सम्पति को पिता द्वारा वर्ष 1977 में किये गये गिफ्ट डीड को शून्य करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/6–1/6 हिस्सा को–पार्सनर के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। यहां यह स्वीकृत तथ्य है कि धनराज द्वारा जो गिफ्ट डीड निष्पादित की है, वह पंजीबद्ध दस्तावेज हैं। विधिक रूप से पंजीबद्ध दस्तावेज Void हो तो ही राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार हैं। यदि दस्तावेज Voidable हो तो राजस्व न्यायालय को वाद सुनवाई की अधिकारिता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में डी.एन.जे. (राज.) 2021 (1) पेज 174 महेन्द्र कुमार व अन्य बनाम मायादेवी व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Civil Procedure Code, 1908-0. 7, R. 11-Rejection of plaint-Application rejected-Respondent Nos. t & 2 flied the suit to declare the gift deed and Will to be void and in effective qua them-Main relief claimed is to cancel the Will and gift deed-Property alleged to be ancestral and coparcenary-Only Civil Court has jurisdiction to declare the documents voidable-held, No illegality in the order impugned and affirmed." इसी प्रकार आर.आर. टी. 2021 (1) हेमन्त गोदारा व अन्य बनाम बनवारीलाल व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Code of Civil Procedure, 1908-Order 7, Rule 11-Rejection of plaint-Application allowed-Father of the appellants executed a sale deed on 18.8.2008 and sold the agricultural land-Contention that the property was joint family property and father as a karta could not have transferred the property for want of family necessity-Transfer of land was voidable and the Civil Court had jurisdiction to try the suit though the subject matter was agricultural land-No bar under Section 207 of Rajasthan Tenancy Act is attracted-Held, Judgment is set aside and case remanded back to decide on merits." डी.एन.जे. (राज.) 2018 (2) पेज 421 हस्ती सीमेन्ट प्राईवेज लिमिटेड बनाम सन्दीप चारण व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Civil Procedure Code, 1908--0. 7, R. 11; Sec. 1st-Rejection of plaint-- Contention that the suit was not triable by the Civil Court-- Application rejected-Relief sought to cancel the sale deed to the,., extent of share of the plaintiff and declaring void-Relief can but granted by Civil Court only-Ancestral land-Issue No. 9 relating to jurisdiction-Held, No illegality in the order of rejecting application." आर.आर.डी. 1984 श्री रोड़ा बनाम श्री जेटा में माननीय मण्डल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Raj. Tenancy Act, Secs. 207, 88 & 180(1) (b)-Hindu Law-Alienation by on _1 Karta of HUF-Suit for declaring ptff. and bis brothers (deft. nos. 5 to 7) as joint Khatedar and for ejectment of deft. nos. 1 to 4, dismissed by lower courts holding on i, 11iat sale deed executed by deft. nos. 5 & 6 in favour of deft. nos. 1 to 4 being voidable should be got cancelled by a competent court-Whether sale, made by Karta ; oft ·o{ joint Hindu family, void or voidable-Held, sale deed, voidable and not void and the:: :relief could not be granted unless alienation, got set aside by C.C" इसी प्रकार ए.आई.आर. 1995 (राज.) पेज 94 खेमा व अन्य बनाम भगवान व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Specific Relief Act (47 of1963), S.31 - Suit for cancellation of sale deeds executed by defendant - Other reliefs of restoration of possession and for perpetual injunction claimed as ancillary reliefs -Suit is exclusively triable by civil court and not by revenue courts. Civil P.C. (S of 1908), S.9 -" इसी प्रकार ए.आई.आर. 1979 (राज.) पेज 173 भोपालसिंह बनाम भगवतसिंह में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (5 of 1908), S.9 - Expressly barred _ Exclusive jurisdiction of Revenue Courts _ Agricultural land - Sale deed executed by father without legal necessity - Suit for cancellation of sale deed and restoration of possession - Cancellation of sale deed is the main relief and restoration of possess10n 1s incidental relief - Jurisdiction of Civil Court to try the suit not barred - Such relief cannot be granted by Revenue Court-Civil Revn. No. 153 of1971, D/-29-7-1971 (Raj) Held not good law after AIR 1971 SC 776. " डी.एन.जे. (एस.सी.) 2022 (2) पेज 731 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "~Civil Procedure Code, 1908-Sec. 100-Suit for declaring the settlement 1,,'.... deed/gift deed to but: null and void executed by the defendant No. 1 lit in favour of defendant No. 2-Suit dismissed-Suit property ~i admitted to be of Joint family property-First Appellate Court set J'., aside the Judgment and decreed the suit and I/3rd share given to ! s, the plaintiff-Appeal dismissed-Father defendant No. 1 !.: transferred the property-Ancestral property-Gift deed Ex.P-1 , '· was executed on 2.3.1980 and possession was taken on 22.3.1980 f1' -Suit was flied on 11.10.1991-Sult was within limitation under (. Art. 109 of the Limitation Act-Defendant No. 2 was neither a co-parcener nor a member of the family-No signature of the plaintiff on gift · deed Ex.P-1- No consent of all the co-parceners Alienation of the property was voidable-Execution of gift in regard to ancestral' property out of love and affection does not come within the scope of the term pious purpose-Gift deed was not for any charitable purpose-Held, Gift deed rightly declared null and void." उपरोक्त समस्त न्यायिक सिद्धान्त सम्मानीय है तथा प्रश्नगत बिन्दू पर पूर्ण रूप से चस्पा भी होते है, किन्तु जैर अपील विचाराधीन प्रकरण से भिन्न प्रकृति के इस कारण से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा उक्त दानपत्र, जो कि रजिस्टर्ड दस्तावेज है, को स्वयं के हितों के विरूद्ध अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी मानते हुए स्वयं के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है, किन्तु उक्त दानपत्र को शून्य करार दिये जाने का अनुतोष नहीं चाहा हैं तथा कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता हैं, इस कारण वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, वह राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का पाया जाता हैं। उक्त वाद की सुनवाई करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से विधिक त्रुटी कारित नहीं की हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट संस्था की ओर से जनहितार्थ कार्य किये गये है, गौशाला का संचालन किया गया है, जिसमें गायो हेतु शेड व्यवस्था, चारा आदि की व्यवस्था की जाती है, कुंआ भी खुदवाया गया हैं। इस प्रकार उक्त आराजी पर संस्था का कब्जा होना जाहिर करते हुए निबेदन किया कि कब्जे के अभाव में वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हैं। प्रथमतः वादी को रजिस्टर्ड दस्तावेज को सिविल न्यायालय से शून्य घोषित करवाने के पश्चात ही उक्त वाद प्रस्तुत किया जा सकता हैं। इन तथ्यों के समर्थन में आर.आर.डी. 1989 पेज 429 हरलाल बनाम खेमचन्द में माननीय मण्डल वृहद पीठ द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया, जिसमें यह प्रतिपादित किया कि " (a) Civil Procedure Code Section 9 Rajasthan Tenancy Act, Section 207 -Sale of ancestral agricultural land of Hind undivided family by Karta- Sale is not void ab initio but is voidable at the option of other coparcenors- Relief sought by plaintiff, who are junior members of the family for declaration, partition and possession can be granted only after sale deed is cancelled by competent court- Suit, held triable by Civil Court." इस प्रकरण में भी वादीगण के पिता द्वारा विवादित आराजी को रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिये अपीलाण्ट संस्था के पक्ष में दान किया हैं, अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर स्वयं का कब्जा दर्शाया है, जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि पर कब्जे को लेकर कोई तथ्य जाहिर नहीं किये, न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया, जो विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट के कब्जे की ताईद करता हो। इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच नहीं की गई।

प्राकृतिक न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकरण में समस्त पक्षकार, जो प्रकरण से प्रभावित होते है, उन्हे समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया जाना है, किन्तु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की समुचित तामील करवाये बिना है, मिथ्या तामील के आधार पर अपीलाण्ट संस्था के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विवेचन में सुझाये गये विधिक बिन्दुओं पर भी कोई विवेचन किये बिना एवं निष्कर्ष अंकित किये बिना ही जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपीले स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2019 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में सुझाये गये विधिक बिन्दुओं पर विवाद्यक कायम करते हुए प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता एवं रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्यूअल के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली